केवल नकल की फीस के लिए

4=7.00

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date on which Application is made for copy accompanied by the requisite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of pasting notice on notice board	नकल वापिस दिए जाने की तारीख Date of delivery of the copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of official delivering copy
263 17-3-12 17.03.2012	19.03.2012	19.03.2012	19-3-12

नकल आदेश दिनांक 16.03.2012 पारित द्वारा न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर, फैजाबाद। वाद संख्या 228 अन्तर्गत धारा 143 जे.ए.ऐक्ट मा[illegible]- रामपुरसधरी परगना हवेली अवध तहसील सदर, फैजा- बाद। नवदिश्वर सिंह बनाम सरकार फैसला दिनांक 16.03.2012

नोट– नकल आदेश की छायाप्रति फोलियो के साथ संलग्न है।

न्यायालय उपज़िलाधिकारी, सदर (जनपद–फैजाबाद)

नर्वदेश्वर सिंह————————————बनाम————————————सरकार।

वाद संख्याः 228

अन्तर्गत धारा– 143 ज0वि0अ0

ग्राम– रामपुर सर्धा, परगना–हवेली अवध,

तहसील–सदर, जनपद–फैजाबाद।

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही नर्वदेश्वर सिंह प्रबन्धक, ग्रामोदय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय रामपुर सर्धा, परगना हवेली अवध, तहसील सदर फैजाबाद के प्रार्थना पत्र पर इस आशय से प्रारम्भ हुई कि गाटा संख्या 551 मि0 रकबा 0.263 हे0 भूमि स्थित ग्राम रामपुर सर्धा मौके पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है तथा अकृषिक रूप में प्रयोग किया जा रहा है। उक्त गाटे को आबादी घोषित किया जाय। वादी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर की आख्या प्राप्त होने के बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया।

तहसील की प्राप्त आख्या का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सदर द्वारा प्रदत्त की गयी आख्या में कहा गया है, कि गाटा संख्या 551 मि0 रकबा 0.263 हे0 भूमि ग्रामोदय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय रामपुर सर्धा द्वारा प्रबन्धक नर्वदेश्वर सिंह पुत्र भवानीभीख सिंह के नाम अंकित है। उक्त भूमि पर महाविद्यालय का भवन निर्माणाधीन है। उक्त अकृषिक प्रयोजन में है व कृषि कार्य नही हो रहा है। उक्त भूमि को नजरी नक्शा में प्रदर्शित की गयी है। धारा 143 ज0वि0अ0 के अन्तर्गत उक्त गाटे को आबादी घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट दी गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध सभी अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है, कि ग्राम रामपुर सर्धा की गाटा संख्या 551 मि0 रकबा 0.263 हे0 भूमि ग्रामोदय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय रामपुर सर्धा द्वारा प्रबन्धक नर्वदेश्वर सिंह पुत्र भवानीभीख सिंह के नाम अंकित है तथा महाविद्यालय के भवन का निर्माण हो रहा है। उक्त अकृषिक है। वादी द्वारा उक्त गाटे को आबादी घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा स्वयं का बयान अंकित कराया गया है। तहसीलदार सदर की आख्यानुसार उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है तथा भूमि अकृषिक है। तहसीलदार सदर की आख्या के आधार पर उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार सदर की आख्या से सहमत होते हुए ग्राम रामपुर सर्धा परगना हवेली अवध, तहसील सदर फैजाबाद की खाता संख्या 544 में दर्ज गाटा संख्या 551 मि0 रकबा 0.263 हे0 भूमि अकृषिक घोषित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है, कि खाते को परता मुताबिक लगान मुक्त किया जाय। आदेश की प्रति तहसीलदार सदर/उपनिबन्धक सदर को अनुपालनार्थ हेतु भेजी जाय। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

मिलान किया द्वारा इलेक्ट्रोस्टेट

मुकाबला किया

शब्द लगभग 300

16/3/12

(सुरेन्द्र सिंह)

उपजिलाधिकारी,

सदर–फैजाबाद

366
21-05-19

केवल नकल की फीस के [illegible] 4=13.00

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देनी की तारीख Date on which apllication is made for copy accompanied by the requisite stamps	नोटिस वोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of pasting notice on notice board	नकल वापिस [illegible] की ता[illegible] Date of delivery of the copy	[illegible] वाले [illegible]ताक्षर Signature of official delivering copy
21.05.2019	22.05.2019	22.05.2019	22/05/19

नकल आदेश दिनांक 15.05.2019 पारित द्वारा न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर अयोध्या। वाद संख्या टी201904230103089 धारा 80 रा०सं० मौजा- रामपुरसधर्री परगना हवेली अवध तहसील सदर, जिला- अयोध्या। श्रीमान्य महाविद्यालय/प्रबंधक चन्द्रमा सिंह बनाम सरकार फैसला दिनांक 15.05.2019

नोट- छायाप्रति फोटोप्रति के साथ संलग्न है।

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :अयोध्या,जनपद :अयोध्या,तहसील :सदर
वाद संख्या :-03079/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201904230103079
ग्रामोदय महाविद्यालय प्रबन्धक/बन्दना सिंह बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 वादसं०-159

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही वादिनी श्रीमती बन्दना सिंह पिता उदय प्रताप सिंह, प्रबन्धक, ग्रामोदय महाविद्यालय, रामपुर सर्धा, परगना हवेली अवध, तहसील सदर, जनपद अयोध्या के द्वारा धारा–80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन–पत्र पर प्राप्त तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 13.05.2019 के आधार पर कायम किया गया। तहसीलदार सदर की आख्यानुसार गाटा संख्या 507 रकबा 0.097 हे0, गाटा संख्या 519 रकबा 0.063 हे0 व गाटा संख्या 552 रकबा 0.458 हे0 कुल रकबा 0.618 हे0 ग्रामोदय महाविद्यालय प्रबन्धक श्रीमती बन्दना सिंह पुत्री उदयप्रताप सिंह निवासी ग्राम रामपुर सर्धा के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। प्रस्तावित भूमि सुरक्षित श्रेणी की नहीं है तथा किसी भी राजस्व न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है। उक्त भूखण्ड पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि अकृषिक प्रयोजन में है। अकृषिक प्रयोजन में होने के कारण उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–80 के तहत उक्त भूमि अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति तहसीलदार सदर द्वारा की गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 13.05.2019 नकल खतौनी एवं खसरा का अवलोकन किया गया। नकल खतौनी व खसरा के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम रामपुर सर्धा, परगना हवेली अवध, तहसील सदर जनपद अयोध्या में स्थित गाटा संख्या 507 रकबा 0.097 हे0, गाटा संख्या 519 रकबा 0.063 हे0 व गाटा संख्या 552 रकबा 0.458 हे0 कुल रकबा 0.618 हे0 ग्रामोदय महाविद्यालय प्रबन्धक श्रीमती बन्दना सिंह पुत्री उदयप्रताप सिंह निवासी ग्राम रामपुर सर्धा के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है, जो कि पूर्णरूप से अकृषिक प्रयोजन में है तथा सर्किल रेटलिस्ट के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार सदर की आख्या के आधार पर उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में दिये गये प्रयोजनों से इतर भूमि का उपयोग होता है या धारा–80(4) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 में उल्लिखित प्राविधानों–

"इस धारा के अधीन उपजिलाधिकारी द्वारा कोई घोषणा जारी नहीं की जायेगी यदि उसका समाधान हो जाये कि भूमि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया जाना हो जिससे (सार्वजनिक न्यूसेंस) होने की संभावना है या सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या महायोजना में प्रस्तावित उपयोगों के विरुद्ध हो"

पृष्ठ संख्या.:

का उल्लंघन होता है या किसी प्रयोजनार्थ भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा। अभिलेख असत्य पाये जाने पर भी यह आदेश स्वतः समाप्त हो जायेगा।

आदेश

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार सदर की आख्या एवं अन्य अभिलेखीय साक्ष्यों से सहमत होते हुए ग्राम रामपुर सर्धा, परगना हवेली अवध, तहसील सदर जनपद अयोध्या की खतौनी फसली सन् 1425–1430 फ0 की खाता संख्या 117 पर अंकित गाटा संख्या 507 रकबा 0.097 हे0, गाटा संख्या 519 रकबा 0.063 हे0 व गाटा संख्या 552 रकबा 0.458 हे0 कुल रकबा 0.618 हे0 भूमि को अकृषिक घोषित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि उक्त खाते की भूमि को परता मुताविक लगान मुक्त किया जाय। आदेश की अभि प्रमाणित प्रति तहसीलदार सदर/उप निबंधक सदर को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक:

15.05.19

उप जिलाधिकारी
सदर–अयोध्या

मूल से फोटो
जारी किया 22/05/19
प्राप्त लागत- 500

प्रतिहस्ताक्षरित

22/05/19 उपजिलाधिकारी
सदर–...